न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 04/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/117

निगरारीकार
नरेन्द्र सिंह उर्फ भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला डीडवना–कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार
1. ग्राम पंचायत छोटी खादू जरिये –
   i. सरपंच ग्राम पंचायत छोटी खादू
   ii. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छोटी खादू
2. सुखवीर राव पुत्र श्री नाथुराम राव जाति जाट निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला डीडवना–कुचामन।

निगरानी विरूद्ध आदेश प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.11.2022 ग्राम पंचायत छोटी खादू निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील निगरारीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 25.08.2025

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. नरेन्द्र सिंह उर्फ भंवरलाल जाट तथा अप्रार्थी संख्या 02 सुखवीर राव जाट दोनों सगे भाई हैं तथा नाथूराम के प्राकृतिक पुत्र है। उक्त नाथूराम सदैव से ग्राम बिंचावा तहसील डीडवाना के ही मूल निवासी पीढ़ियों से रहे और इसी अनुरूप प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 अर्थात् नरेन्द्र सिंह तथा सुखवीर दोनों ही सगे भाई होने से ग्राम बिंचावा के ही मूल निवासी है। उक्त पक्षकारान के पिता नाथूराम का सन् 2015 में ग्राम बिंचावा में ही स्वर्गवास हुआ है।
2. अप्रार्थी संख्या 02 सुखवीर के प्रार्थी के पिता नाथूराम के पैसों से एक गलत रूप से पट्टा क्रमांक 20 मिसल संख्या 16/13.04.1990 का दिनांक 29.09.1990 को अपने आपको गलत रूप से छोटी खादू का निवासी बताकर पूराने पंचायत अधिनियम 1953 के नियम 266 सन् 1961 के अन्तर्गत अपने नाम से जारी करवा लिया। जबकि उक्त दिवस को सुखवीर राव कि उम्र मात्र 24 वर्ष थी और उसका उक्त नियम 266 के अन्तर्गत ग्राम छोटी खादू में 40 वर्ष से उपर का कब्जा हो ही नहीं सकता था। उक्त सुखवीर राव किसी ... ग्राम छोटी खादू का निवासी भी नहीं था वह मूल निवासी ग्राम बिंचावा ... है।
3. यह भी विदित रहे कि ... जगह ... पक्षकारान के पिता नाथूराम ने सन् 1985–86 में ही अपने पैसों से 16 दुकान बनाकर इस पट्टा ... को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:48:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

व्यवसायिक रूप में दिया था। परन्तु उक्त नाथूराम को अंधेरों में रखकर अप्रार्थी संख्या 02 सुखवीर ने ग्राम पंचायत छोटी खाटू को प्रवंचना देकर गलत रूप से आबादी का पट्टा बना लिया। परन्तु उक्त सम्पति वास्तविक रूप से नाथूराम की थी।

4. यद्यपि कालान्तर में उक्त पक्षकारान के पिता नाथूराम के सामने पक्षकारान नरेन्द्र सिंह उर्फ भंवरलाल व सुखवीर के बीच में कथित बंटवारा कि लिखापढ़ी दिनांक 07.04.2000 को अवश्य हुई। परन्तु उक्त लिखापढ़ी की अनुपालना हुई और न कोई लेन देन हुआ और न कोई संव्यवहार हुआ। उक्त लिखापढ़ी मात्र सादा पेपर पर बताई जाती है। जिसका कोई महत्व नहीं है।

5. यद्यपि उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 20 दिनांक 29.09.1990 पूर्णरूप से गलत जारी किया गया। पट्टा वाले स्थान पर तो पहले से ही 16 दुकाने बनी हुई थी और यह स्थान वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम आ रहा था। इसके बावजुद सभी विधिक प्रावधानों को ताक में रखते हुए उक्त अप्रार्थी सुखवीर ने उक्त पट्टा क्रमांक 20 मिसल संख्या 16/13.04.1990 पट्टा जारी दिनांक 29.09.1990 को गलत रूप से दिनांक 21.11.2022 की ग्राम पंचायत छोटी खाटू की साधारण सभा में पेश कर प्रस्ताव संख्या 02 पारित करवाकर इसी पट्टा को पुनः विधि मान्य घोषित कराने का आदेश जारी कर नये नियम 167 की शक्तियों का दुरूपयोग कर गलत रूप से पुनः विधि सम्मत होने का प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा को पंजीकृत करवाने का आदेश जारी कर दिया और एक माह से अधिक अवधि के पश्चात् दिनांक 23.12.2022 को उक्त पट्टा को जारी होना व विधि मान्य होने का आदेश पारित कर दिया। जिस पट्टा व उसके आधार पर जारी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.12.2022 ग्राम पंचायत छोटी खाटू के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश है।

6. गाम पंचायत छोटी खाटू का दिनांक 21.11.2022 को पारित प्रस्ताव कर जो उक्त पट्टा क्रमांक 20 जारी दिनांक 29.09.1990 के सम्बंध में जारी किया गया वह प्रस्ताव पूर्णरूप से अविधिक त्रुटिपूर्ण एवं विधिक सिद्धान्तों से परे जाकर पारित किया हुआ प्रस्ताव हैं जो पूर्णतया अपास्त किये जाने योग्य है। जिसके प्रमुख आधार इस प्रकार है :–

   1. जब उक्त बताया गया पट्टा दिनांक 29.09.1990 को सुखवीर के नाम से जारी करना बताया है। जबकि पट्टा वाले स्थान पर जो 1985–86 से ही वाणिज्यिक परिसर के रूप में 16 दुकाने पिता नाथूराम की बनाई हुई थी। तब मात्र 25 वर्ष की आयु के सुखवीर के नाम उक्त पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। क्योंकि पूराने पंचायत अधिनियम के नियम 266 के अनुसार प्रस्तावित पट्टाधारी का लगातार बेरोक टोक 40 वर्षों से भी उपर की अवधि का लगातार शांतिपूर्वक कब्जा होना आवश्यक हैं और जब उक्त पट्टा ही अविधिक रूप से जारी हुआ हैं तो उसके आधार पर उसी पट्टा को पुनः विधि मान्य करार दिया जाकर उसका पंजीकरण नहीं हो [illegible] ऐसा प्रस्ताव दिनांक 21.11.2022 का प्रस्ताव संख्या 2 पूर्णतः अविधिक [illegible] रहे कि उक्त पट्टा का पंजीकरण में उक्त सुखवीर ने अपनी [illegible] 58 वर्ष दर्शित की है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पुराने नियम 266 के अन्तर्गत उसके नाम पट्टा जारी ही नहीं हो सकता था।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:48:16 IST
Reason: SelfAttested

2. ग्राम पंचायत छोटी खादू द्वारा उक्त प्रस्ताव क्रमांक 2 पारित करने से पूर्व न तो इस बारे में कोई सम्बधिंत व्यक्तियों को नोटिस जारी किये और न ही ऐसे प्रस्ताव से पहले बैठक में लिये जाने वाले विषयों की सूची जारी की। यही नहीं उक्त चुनौतीग्रस्त प्रस्ताव दिनांक 21.11.2022 को जारी किया गया। जबकि उक्त पट्टा की पुस्त पर 32 दिन पश्चात् दिनांक 23.12.2022 को अनुपालना करना बताया है। विदित रहे कि उक्त अनुपालना की दिनांक 30.09.1990 को जारी पट्टा के बारे में बताई गई हैं जो किसी भी प्रकार से हस्तगत पट्टा में लागू नहीं होती। फिर भी इन तथ्यों पर ध्यान नही देकर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त चुनौतीग्रस्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

3. उक्त प्रस्ताव में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 167 का संदर्भ दिया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में नियम 167 लागू ही नहीं होता। प्रथम तो उक्त नियम के साथ नियम 153, 154 की अनुपालना नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त नियम व्यवसायिक भूमि पर लागू नही होते। जबकि पट्टा वाले स्थान पर गत 38 वर्षो से भी अधिक अवधि से व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। जिन तथ्यों पर ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं देकर उक्त अवैध प्रस्ताव पारित कर दिया। जो प्रस्ताव व आदेश दिनांक 21.11.2022 पूर्णतया अपास्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त चुनौतीग्रस्त प्रस्ताव जो अविधिक रूप से पारित किया गया है, के आधार पर उक्त पट्टा का गलत रूप से पंजीकरण करा लिया जाता हैं और अब अप्रार्थी संख्या 02 सुखवीर राव इस पंजीकरण व प्रस्ताव के गलत आधार पर प्रार्थी की पारिवारिक सम्पति को विक्रय हस्तान्तरण आदि करने पर तुला हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव पर एवं इसके आधार पर पट्टे का जो पंजीकरण किया गया है। उस पर स्थगन आदेश पारित करने की कृपा करावें।

8. उक्त प्रस्ताव दिनांक 21.11.2022 की जानकारी प्रार्थी को पहले कभी नहीं हुई। उसे ऐसे प्रस्ताव की जानकारी दिनांक 24.04.2023 को हुई और जानकारी होते ही प्रार्थी ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार के अन्तर्गत इसका आवेदन पेश कर दिया। इसके बावजुद प्रार्थी के आवेदन में वर्णित सभी वांछित नकले नहीं दी गई। केवल उक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.05.2023 को उपलब्ध करवायी गई। जिसकी प्रमाणित प्रति पेश है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की उक्त निगरानी स्पष्ट रूप से अन्दर मयाद है। यद्यपि इस हेतु पृथक से परिसीमा अवधि अधिनियम की धारा 05 का आवेदन भी पेश किया जा रहा हैं। अतः निगरानी अन्दर मयाद हैं। निगरानी के साथ निश्चित न्याय शुल्क के स्टाम्प पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त गलत पट्टे को विधिमान्य करार देने बाबत् जारी उक्त चुनौतीग्रस्त प्रस्ताव को पूर्णतया अविधिक माना जाकर व घोषित किया जाकर उक्त प्रस्ताव को पूर्णरूप से अपास्त किये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी [illegible] 372 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनु[illegible] ग्राम [illegible]चायत छोटी खादू द्वारा मिसल नम्बर 16 दिनांक 13.04.19[illegible] संख्या 20[illegible] दिनांक 29.09.1990 के द्वारा पट्टा जारी किया गया इस संबंध में पट्टा [illegible] दिनांक 07.11.2022 को पट्टा नवीनीकरण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया। [illegible] क्रम में ग्राम पंचयत की बैठक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:48:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिनांक 21.11.2022 के प्रस्ताव संख्या 02 की पालना में दिनांक 23.12.2022 को पट्टा संख्या 20 जारी दिनांक 29.09.1990 का पुनर्विधिमान्यकरण किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के पत्रांक 372 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टे का दिनांक 23.12.2022 को पुनर्विधिमान्यकरण किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा सही जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25.08.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:48:16 IST
Reason: SelfAttested